रजिस्ट्री सं. डी. एल.-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 64] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 5, 1985/माघ 16, 1906
No. 64] NEW DELHI, TUESDAY, FEB. 5, 1985/MAGHA 16, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1985

का. आ. 64(अ).—केन्द्रीय सरकार, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1984 (1984 का 57) की धारा 2 के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 11 फरवरी, 1985 को उक्त अधिनियम की धारा 18 के प्रयोजनों के लिए तारीख विनिर्दिष्ट करती है ।

2. प्रत्येक व्यक्ति जिसका कंपनी पर कोई दावा है ऐसा दावा उक्त तारीख से तीस दिन के भीतर श्री एम. बी. जोशी, संदाय आयुक्त, बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लिमिटेड, 153, लेनिन सारणी, कलकत्ता-700013, के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

[एल-39/13/84-डी.वी.]

आर. वी. वैद्यनाथ अय्यर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 1985

S.O. 64(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of section 2 of the Bengal Immunity Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1984 (57 of 1984), the Central Government hereby specifies the 11th day of February, 1985, as the date for the purposes of section 18 of the said Act.

2. Every person having a claim against the company shall prefer such claim before Shri M.V. Joshi, Commissioner of Payments, Bengal Immunity Company Limited, 153, Lenin Saranee, Calcutta-700013, within thirty days from the said date.

[L-39|13|84-DV]

R. V. VAIDYANATHA AYYAR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985